Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: न्यूनतम अधिगम स्तर से निपुण भारत मिशन के लक्ष्यो की ओर संक्रमण: एक विश्लेषण

शबाना परवीन* डॉ. संजीव कुमार**

* रिसर्च स्कॉलर, शिक्षा विभाग, हिंदू कॉलेज, मुरादाबाद (उ.प्र.) भारत
** असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, हिंदू कॉलेज, मुरादाबाद (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से 2030 तक सभी बच्चों के लिए समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का वैश्विक एवं महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। विश्व भर में विश्व बैंक एवं यूनिसेफ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं निरंतर रूप से इस बात पर जोर दे रही है कि शिक्षा विद्यालयों में बच्चों के नामांकन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे अधिगम परिणामों पर केंद्रित होना चाहिए। भारत के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के आधी शताब्दी बीत जाने के पश्चात इस दिशा में ध्यान दिये जाने की शुरुआत न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा से हुई जो अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के अति महत्वकांक्षी योजनाओं एवं कार्यक्रमों तक विस्तारित है। शिक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में देखें तो इन सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सीमित प्रभाव होता रहा है, यद्यपि विद्यालय नामांकन, आधारभूत संरचना के विकास एवं पहुंच की दृष्टि से लगभग सभी लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं, जो इन कार्यक्रमों की एक बड़ी उपलब्धि कहीं जा सकती है। परंतु शिक्षा की गुणवत्ता के प्रश्न अभी बाकी हैं। स्वयंसेवी संस्था प्रथम द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली रिपोर्ट 'असर' ग्रामीण भारत की प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की बजरंग तस्वीर प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति अच्छी नहीं है, जहां कक्षा 5 के लगभग 40% छात्र कक्षा तीन की पाठ्यपुस्तक पढ़ने एवं गणितीय संकल्पनाओं को समझने में असमर्थ हैं। प्रस्तुत आलेख में शोधार्थीनी द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता पर विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

शब्द कुंजी –गुणवत्तापूर्ण, शिक्षा, न्यूनतम अधिगम स्तर, निपुण भारत मिशन।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा–भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा से ही एक चुनौती रही है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1991 में न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा से पूर्व जहां प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना,विद्यालय पहुंच एवं अपव्यय अथवा अवरोधन थी, वहीं न्यूनतम अधिगम की अवधारणा से यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर केंद्रित हो गई। अब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना योजनाओं का केंद्रीय बिंदु बन गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में अनेक योजनाओं का निर्माण एवं कार्यक्रमो का संचालन किया गया जो न्यूनतम अधिगम स्तर से शुरू होकर निपुण भारत मिशन के लक्ष्यो तक देश में शैक्षिक दर्शन के बदलाव के सफर को दर्शाते है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

सारणी– 01: प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर केन्द्रित प्रमुख कार्यक्रम

कार्यक्रम	प्रमुख तत्व	गुणवत्ता सेधार हेतु प्रमुख मानक
MLL 1991	पाठ्यवस्तु भाषा एवं गणितीय संकल्पनाऐं	न्यूनतम दक्षता
DPEP 1994	प्राथमिक शिक्षा का विकेन्द्रीकरण एवं आधारभूत अव संरचना में	स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण एवं बाल केन्द्रित
	सुधार	शिक्षा
SSA 2001	आधारभूत अवसंरचना एवं शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य	विद्यालय नामांकन एवं अवधारण
RTE 2009	कानूनी/मौलिक अधिकार	समग्र व सतत मूल्यांकन एवं समावेशी शिक्षा
PBBB 2014	विषयवस्तु	कक्षा 1 व 2 के लिए पढ़ने–लिखने एवं गणितीय कौशल में सुधार पर बल
NIPUN 2021	आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता	स्पष्ट 'सीखने के परिणाम'

1. न्यूनतम अधिगम स्तर–राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख सिफारिश के आधार पर 1991 में प्रो.आर.एच.ढवे समिति ने न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। यह देश में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का प्रथम संगठित एवं विशिष्ट प्रयास था। समिति ने प्रस्तावित किया कि 'शिक्षा में समानता तब तक नहीं आ सकती जब तक कि देश के प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक निश्चित निश्चित स्तर की शिक्षा प्राप्त न हो जाए'। इसी आधार पर समिति ने कक्षा 1 से 5 तक के लिए गणित,भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन विषयों के विशिष्ट मानक प्रस्तुत किए, जिनके द्वारा रटने की प्रवृत्ति से हटकर कौशल या दक्षता आधारित शिक्षण पर बल दिया गया। समिति ने यह स्पष्ट किया कि देश के

काम से कम 80% बच्चों द्वारा कम से कम 80% दक्षताओं को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

न्यूनतम अधिगम स्तर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–भारतीय शिक्षा में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र गति से परिवर्तन हुए इनमें से एक प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होना था। इससे पहुंच एवं नामांकन में वृद्धि हुई परंतु धीरे–धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि नामांकन में वृद्धि के साथ–साथ बच्चों के सीखने में वृद्धि नहीं हो रही है। इससे शिक्षा का 'मात्रात्मक विकास' बनाम 'गुणात्मक उपलब्धि' की समस्या उत्पन्न हुई जिसके परिणामस्वरुप न्यूनतम अधिगम स्तर के संप्रत्यय का उदय हुआ।

न्यूनतम अधिगम स्तर के संप्रत्यय कि देश में स्वीकृति के पीछे विश्व पटल पर हो रहे परिवर्तनों की भूमिका थी। विश्व भर में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा था जिस कारण भारत की गुणवत्ताहीन प्राथमिक शिक्षा की आलोचना देश एवं देश के बाहर होने लगी थी। परिणामस्वरुप सरकार का ध्यान प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर केंद्रित होने लगा। इस समय एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा 1978 में यूनिसेफ के सहयोग से 'मिनिमम लर्निंग कॉन्टिन्म' (न्यूनतम अधिगम की सतत प्रगति)पर एक कार्य योजना तैयार की गई थी जिसमें यह निर्धारित किया गया की प्राथमिक स्तर पर कक्षा 2 से कक्षा 5 तक के बच्चों को क्या–क्या आवश्यक कौशल एवं ज्ञान आना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रस्तुत की गई है यह कार्ययोजना ही देश में न्यूनतम अधिगम स्तर के संप्रत्यय का आधार बनी।

तत्पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह स्पष्ट किया गया कि देश के सभी बच्चों को समान स्तर की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए तथा शिक्षा में गुणवत्ता एवं समानता दोनों ही आवश्यक होने चाहिए। इसी आधार पर देश में न्यूनतम अधिगम स्तर को नीतिगत दृष्टि से स्वीकृति मिली। भारत सरकार उस समय चाहती थी कि विद्यालय त्याग करने वाले बालक कम से कम पढ़ने, लिखने एवं गणित के कुछ बुनियादी कौशल को सीख सकें जिससे वे बाद के जीवन में उनका प्रयोग कर सके। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में एक समस्या यह थी कि 'लर्निंग आउटकम' की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु न्यूनतम अधिगम का संप्रत्य देश में एक रणनीति के रूप में सामने आया। इसी के दृष्टिगत भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 5 जनवरी 1990 को प्रो. आर.एच.दवे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए कई सिफारिशें दी, जिनमें से प्रमुख सिफारिश से निम्नलिखित हैं–

1. **न्यूनतम अधिगम स्तर का निर्धारण**–समिति की सबसे प्रमुख एवं युग परिवर्तन कार्य सिफारिश जिसे आगे चलकर प्राथमिक शिक्षा के परिदृश्य को पूरी तरह से बदलकर रख दिया थी कि 'प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्पष्ट एवं मापनीय अधिगम स्तर का निर्धारण किया जाए जो मुख्य रूप से भाषा,गणित एवं पर्यावरण अध्ययन इन तीन विषयों में लागू किए जाएं।'

2. **आधारभूत विषयों में दक्षताओं का निर्धारण**–समिति की एक और प्रमुख सिफारिश थी की कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के प्रत्येक स्तर पर तीन मुख्य विषयों भाषा,गणित एवं पर्यावरण अध्ययन में न्यूनतम अधिगम स्तर का क्रियान्वयन किया जाए क्योंकि ये विषय व्यावहारिक जीवन में अनिवार्य कौशल प्रदान करते हैं। भाषा द्वारा पढ़ने लिखने एवं समझने की दक्षता आती है, जो व्यक्ति के जीवन को सरल बनाती है। गणित द्वारा बच्चा गणना करने एवं तार्किक सोच की दक्षता प्राप्त करता है जो जीवन में दैनिक क्रियाकलापों में प्रयुक्त होती है तथा पर्यावरण का अध्ययन समाज एवं राष्ट्र के प्रति सकारात्मक समझ का विकास करता है। क्योंकि इससे पूर्व शिक्षा प्रणाली में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि किसी भी कक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात बच्चों को क्या–क्या दक्षता अथवा ज्ञान आना चाहिए। इस समस्या के समाधान के रूप में समिति ने नवीन संप्रत्यय दिया कि प्रत्येक कक्षा के लिए अधिगम परिणाम निश्चित किए जाने चाहिए जो रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर कौशल एवं दक्षता आधारित हो। जैसे –कक्षा 2 का बच्चा गणित में कम से कम दो अंकों को जोड़ सके, घटा सके। इसी प्रकार भाषा में कक्षा 2 का बच्चा कम से कम सरल वाक्य को आसानी से पढ़ सके। इससे यह स्पष्ट हो गया कि विद्यालय में अध्ययन का लक्ष्य क्या है। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राथमिक शिक्षा अस्पष्ट स्थिति से स्पष्ट एवं परिणाम आधारित बन गई।

3. **दक्षता पर आधारित कक्षा शिक्षण–**समिति की यह तीसरी सबसे प्रमुख सिफारिश थी। इसमें समिति ने पारंपरिक पुस्तक/पाठ्यवस्तु पर आधारित शिक्षण के स्थान पर दक्षता पर आधारित शिक्षण की प्रणाली अपनाने पर बल दिया। समिति ने दक्षता का अर्थ 'ज्ञान+कौशल+व्यवहार के समन्वय' के रूप में स्पष्ट किया। अर्थात बच्चों के लिए केवल जोड़ के नियम को जानना ही पर्याप्त नहीं है वरन बच्चों को वास्तविक जीवन में जोड़ करना आना चाहिए तभी शिक्षा वास्तव में जीवन में उपयोगी है।

इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE) का संप्रत्यय दिया जिसके अनुसार मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा पर आधारित न होकर हर अध्याय के बाद छोटे–छोटे परीक्षण के रूप में पूरे वर्ष चलता रहना चाहिए। साथ ही मूल्यांकन समग्र होना चाहिए अर्थात केवल लिखित परीक्षा पर ही आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि कौशल, रचनात्मकता ,व्यवहार एवं सहभागिता पर आधारित होना चाहिए। समिति ने न्यूनतम अधिगम स्तर की सफलता के लिए नई प्रणाली के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण की सिफारिश की जिसमें दक्षता आधारित शिक्षण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन एवं बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर को समझा जा सके।

समिति की सिफारिश ने भारत में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा प्रदान की। इसी का परिणाम है कि आज शिक्षा लक्ष्य आधारित हो गई है जिसमें पढाने से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। दवे समिति के प्रभाव के कारण ही आज अधिगम परिणाम, सतत एवं समग्र मूल्यांकन जैसे लक्ष्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आधुनिक 'निपुण भारत मिशन' का प्रमुख आधार 'न्यूनतम अधिगम स्तर' का संप्रत्य ही है।

2. **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) 1994–**प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 1994 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम उस समय तक देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं उसके संशोधित 'प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992' के आधार पर इस कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई थी। डी.पी.ई.पी. द्वारा मूल रूप से प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया, इस हेतु प्राथमिक शिक्षा के जिला स्तरीय नियोजन पर जोर दिया गया था। यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा में पहुंच, अवधारण एवं शैक्षिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु लाया गया था। परंतु इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना

था। इसके लिए न्यूनतम अधिगम स्तर के सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया गया जिससे प्रत्येक बालक कक्षा के लिए निर्धारित बुनियादी कौशलों पढ़ना, लिखना एवं गणितीय संकल्पनाओं को सीख सके एवं शिक्षक आधुनिक शिक्षण विधियां को प्रयोग कर सके। इसके लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया, जिसने प्राथमिक शिक्षा तंत्र की रीढ के रूप में कार्य किया और यह व्यवस्था आज भी समग्र शिक्षा अभियान का अंग है। इस कार्यक्रम द्वारा शिक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन हेतु बी.आर.सी.एवं सी.आर.सी.की स्थापना की गई, रटने की प्रवृत्ति को समाप्त करके खेल विधि एवं क्रिया आधारित शिक्षण पर बल दिया गया।

पिछली सदी के 90 वे दशक के प्रारंभ में भारत में प्राथमिक शिक्षा की दशा दयनीय थी, साक्षरता दर निम्न थी, विद्यालय परित्याग अधिक था। डी.पी.ई.पी. द्वारा पहली बार जनपद स्तर पर शैक्षिक योजना बनाई गई जिससे स्थानीय स्तर पर शैक्षिक समस्याओं का समाधान संभव हो सका। इस कार्यक्रम द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि केवल विद्यालय भवन बनाकर शिक्षा की स्थिति में सुधार संभव नहीं है, अपितु विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार करना अधिक महत्वपूर्ण है। 2001 में इस कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया। इस कार्यक्रम ने प्राथमिक शिक्षा को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

3. सर्व शिक्षा अभियान 2001–सर्व शिक्षा अभियान डी.पी.ई.पी. के अनुभवो एवं सफलताओं की अगली कड़ी था। यह देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु चलाया गया अब तक का सर्वाधिक प्रभावी एवं व्यापक अभियान था। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में पहुंच, शून्य विद्यालय परित्याग, समानता आधारिक शिक्षा एवं विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय संचालन के लिए समर्थ बनाना आदि लक्ष्यों को समयबद्धता के साथ प्राप्त करना था। यह अभियान विद्यालयों में केवल नामांकन बढ़ाने तक ही सीमित नहीं था वरन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसके केंद्र में थी, इसी कारण 'लर्निंग आउटकम' पर अभियान में बल दिया गया तथा इसके लिए न्यूनतम अधिगम स्तर के मानकों को स्वीकार किया गया एवं उनके अनुरूप पाठ्यवस्तु और पाठ्यक्रम में सुधार किया गया जिससे शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उसे बुनियादी समझ एवं जीवन कौशलों से जोडा जा सके। सर्व शिक्षा अभियान में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया गया जिससे शिक्षा की गुणवत्ता का स्पष्ट रूप से मापन किया जा सके।

इस अभियान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता करने के लिए छात्र शिक्षक अनुपात 30:1(कक्षा एक से पांच तक) तथा 35:1 (कक्षा 6 से 8 तक) निर्धारित किया गया। सेवारत शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष 20 दिनों का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया साथ ही विद्यालय के बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं का विकास किया गया। शिक्षा की गुणवत्ता एवं आधारभूत तथ्यों की समझ हेतु अभियान द्वारा 'पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम' शुरू किया गया जिसके द्वारा बच्चों की भाषा एवं गणितीय समझ को मजबूत करने पर बल दिया गया।

सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा को व्यापक रूप से प्रभावित एवं परिवर्तित किया। डी.पी.ई.पी.द्वारा जनपद स्तरीय विकेंद्रीकरण की नींव रखी थी तो वहीं इस अभियान द्वारा इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया गया तथा शिक्षा को केवल 'साक्षरता' से आगे बढ़कर 'सीखने की प्रक्रिया' की और अग्रसित किया गया।

4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009–शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों को केवल विद्यालय भेजने तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित करता है। इस अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल अंकों तक ही सीमित नहीं है वरन बच्चों को शारीरिक, मानसिक दंड से मुक्त रखकर उनकी प्रतिभा ज्ञान एवं क्षमता का विकास करने तक है। इस अधिनियम की धारा 19 विद्यालय के लिए मानकों का निर्धारण करती है जिनके अभाव में विद्यालय का संचालन नहीं किया जा सकता है। इनमें खेल मैदान, पुस्तकालय, पेयजल, पर्याप्त भवन एवं शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाओं को अनिवार्य बनाया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता (टीईटी) का निर्धारण किया गया। इस अधिनियम की धारा 24 पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने तथा बच्चों की सीखने की क्षमता का आकलन करने का प्रावधान करती है, वहीं धारा 29 बाल विकास हेतु सर्वांगीण पाठ्यक्रम की उपलब्धता एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को सुनिश्चित करती है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम ने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को 'विलासिता' के बजाय 'अनिवार्यता' बना दिया है। इस अधिनियम ने विद्यालय के बुनियादी ढांचे का व्यापक स्तर पर विकास किया परिणामस्वरुप विद्यालय में सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी। छात्र शिक्षक अनुपात पर इस अधिनियम का पूर्वगामी कार्यक्रमों, योजनाओं की तुलना में सर्वाधिक प्रभाव हुआदेशभर में व्यापक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती हुई एवं उनकी योग्यता एवं पात्रता को निश्चित किया गया। इस अधिनियम द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से अभिभावकों की विद्यालय संचालन में भागीदारी निश्चित की गई जो विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करते है। इसका परिणाम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के रूप में सामने आया।

5. पढ़े भारत बढ़े भारत, 2014–यह कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के एक विशिष्ट उप कार्यक्रम के रूप में 27 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम की आवश्यकता प्राथमिक शिक्षा के गिरते स्तर के परिणामस्वरूप की गई थी। स्वयंसेवी संस्था 'असर' की रिपोर्ट एवं अन्य राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के परिणामों से सामने आया कि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 के छात्र कक्षा 2 के स्तर की पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा की जिम्मेदारी एन.सी.ई.आर.टी.को दी गई। इस कार्यक्रम का सबसे प्रमुख उद्देश्य बच्चों की पढ़ने, लिखने एवं समझने की क्षमता का विकास करना एवं गणितीय तर्क करने, संख्या ज्ञान तथा गणितीय संकल्पनाओं की समझ को विकसित करना था। इसके द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 2 के बच्चों को मातृभाषा में सीखने के अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया। इस प्रकार 'पढ़े भारत बढ़े भारत' कार्यक्रम द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा को विद्यालय की भौतिक संसाधनों, सुविधाओं से हटाकर प्रत्यक्ष रूप से 'सीखने की प्रक्रिया' पर लाया गया।

यह कार्यक्रम न्यूनतम अधिगम स्तर के मानकों को प्राप्त करने की दिशा में एक आधारभूत कार्यक्रम था। इसके द्वारा स्पष्ट रूप से उन दक्षताओं को निश्चित किया गया जो कक्षा एक व दो के बच्चों को आनी चाहिए, इस हेतु इस कार्यक्रम द्वारा 'प्रिंट समृद्ध वातावरण' के निर्माण पर बल दिया गया। जैसे –कक्षा में दीवारों पर चार्ट, कहानी एवं चित्र आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं गणित तथा भाषा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए

विशेष मॉड्यूल तैयार करना। 'पढ़े भारत बड़े भारत' कार्यक्रम ने यह स्थापित किया कि 'पढ़ना सीखना' ही भावी 'सीखने के लिए' की पहली सीढ़ी है।

6. समग्र शिक्षा अभियान 2018–समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार का एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा के परिदृश्य को बदलने के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान से पहले देश में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजनाएं चल रही थी जिनमें समन्वय का अभाव था। समग्र शिक्षा अभियान ने इन तीनों योजनाओं को एकीकृत रूप दिया जिससे शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा एकीकृत एवं सरल हो सका। इस कार्यक्रम द्वारा 'सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा' का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस अभियान के फलस्वरुप प्री–स्कूल, आंगनबाड़ी से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा को एक मंच पर लाया गया। दीक्षा पोर्टल एवं ई–पाठशाला जैसे डिजिटल कार्यक्रम आरंभ हुए, माध्यमिक स्तर पर कौशल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, विद्यालय में लर्निंग आउटकम पर फोकस किया गया एवं शिक्षा की गुणवत्ता हेतु स्कूल ग्रांट का प्रावधान किया गया। यह एक व्यापक एवं विस्तृत अभियान है जिसके द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई उप कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। जिनमें प्रमुख है–

- **निपुण भारत मिशन–** यह इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण उप कार्यक्रम है जिसके द्वारा बच्चों के बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर बल दिया गया है।
- **निष्ठा–**शिक्षक प्रशिक्षण के लिए चलाया गया यह विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत कार्यक्रम है जिसमें आधुनिक पद्धति एवं तकनीक का प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किया जाता है।
- **परख–**विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के आकलन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना इसके अंतर्गत की गई है।
- **विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना–**डिजिटल विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड एवं कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है।
- **समग्र शिक्षा अभियान सतत विकास लक्ष्य–**4 के अनुरूप है जो समावेशी, न्यायपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करता है। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता को केवल एक आदर्श न मानकर एक मापन योग्य लक्ष्य बनाया गया है जिसको 'यू डाइस प्लस' जैसे प्लेटफार्म के माध्यम से ट्रैक किया जाता है।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020–यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक युगांतरकारी परिवर्तन है जिसका उद्देश्य भारत को एक विश्व स्तर की ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा के ढांचे एवं गुणवत्ता में परिवर्तन हेतु क्रांतिकारी प्रावधान किए गए हैं। जैसे 5+3+3+4 की शिक्षा की संरचना जिसके द्वारा 10+2+3 के पुराने ढांचे को बदल दिया गया है। नई शिक्षा नीति वास्तव में न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा को नए वैज्ञानिक स्वरूप में प्रस्तुत करती है।

8. निपुण भारत मिशन–निपुण भारत मिशन का लक्ष्य 2028 तक कक्षा 3 के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से पढ़ने, लिखने एवं बुनियादी गणित की दक्षता प्राप्त कराना है।जिसे FLN (Foundation Literacy and Numeracy) कहां गया है। निपुण भारत मिशन वास्तव में न्यूनतम अधिगम स्तर का सबसे स्पष्ट, सख्त एवं आधुनिक रूप है इसमें पाठ्यक्रम को पूरा करने पर नहीं 'सीखने के प्रतिफल' (लर्निंग आउटकम) पर मुख्य बल दिया गया है जिसमें बच्चे केवल परीक्षा पास न करके उस कक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम कौशल को वास्तव में सीख सकें।

मिशन की शुरुआत–निपुण भारत मिशन का प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय के 'स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग' द्वारा तैयार किया गया जिसमें एन.सी.ई.आर.टी. ने भी प्रमुख योगदान दिया है। 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया।

- **निपुण भारत मिशन के लक्ष्य–** निपुण भारत मिशन का लक्ष्य 2028 तक कक्षा 3 के प्रत्येक बच्चे को बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) में दक्ष बनाना है। यह मिशन शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण 'वास्तविक कौशल' पर केंद्रित करता है। इसके लिए लक्ष्य सूची द्वारा कक्षा तीन तक के छात्रों के लिए सीखने के स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण, खेल द्वारा शिक्षण एवं संख्यात्मकता आदि का प्रावधान किया गया है। निपुण भारत मिशन राष्ट्रीय, राज्य,जनपद, ब्लॉक एवं विद्यालय इन पांच स्तरों पर एक साथ क्रियान्वित किया गया है जिस कारण इसके लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्तारदायित्व स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **निपुण तालिका–**निपुण भारत मिशन के प्रभावी कार्यान्वन के लिए निपुण तालिका का निर्धारण किया गया है। यह तालिका इस मिशन का अत्यंत विशिष्ट उपकरण है जो लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति एवं उत्तारदायित्व का स्पष्ट रूप से निर्धारण करती है। यह एक विस्तृत चार्ट है जो विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में (बालवाटिका से कक्षा 3) प्रदर्शित की जाती है। इस तालिका में उस कक्षा विशेष के लिए निपुण लक्ष्य का विवरण होता है जिसमें प्रत्येक छात्र के नाम के आगे उनकी भाषा एवं गणित की दक्षताओं का विवरण होता है जो बच्चे को एक निर्धारित समय में प्राप्त करनी होती है। छात्र द्वारा निर्धारित दक्षता प्राप्त करने पर शिक्षक तालिका में उस दक्षता के आगे उस दिनांक को अंकित कर देते हैं जिस दिनांक को छात्र वह दक्षता प्राप्त करता है। इस तालिका को अभिभावक एवं अन्य निरीक्षक अधिकारी देख सकते हैं और बच्चों की प्रगति एवं दक्षता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह तालिका शैक्षिक गुणवत्ता के मापन का पैमाना है जो दर्शाती है कि क्या बच्चे वास्तव में न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं, साथ ही इस तालिका के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि कक्षा में कौन–कौन से बच्चे किन–किन दक्षताओं में कमजोर हैं। इस आधार पर ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षण का प्रावधान किया जाता है। स्पष्ट है कि निपुण तालिका शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता और विद्यालय की शैक्षिक स्थिति का पारदर्शी विवरण प्रस्तुत करती है।

सारणी –2(अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

निष्कर्ष–प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता सुधार हेतु किये प्रयासों के प्रभाव का आंकलन संक्षिप्त रूप से कर पाना दुष्टतम कार्य है फिर भी कुछ बिन्दूओं के सन्दर्भ में इनहे समझ सकते हैं–

- **कक्षा बनाम दक्षता–** पारंपरिक रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली में कक्षा को एक समय सीमा के अंदर उत्तीर्ण करने पर मुख्य बल दिया जाता है। परंतु न्यूनतम अधिगम स्तर एवं निपुण भारत मिशन ने इस अवधारणा को कक्षा से दक्षता पर केंद्रित कर दिया है। हालांकि कक्षा से दक्षता परिवर्तन की यह यात्रा लंबी रही है,पर धीमे रूप में ही सही इसके परिणाम अब दिखने लगे हैं।

- **प्राथमिक शिक्षा का वैचारिक परिवर्तन–** प्राथमिक शिक्षा में ऐतिहासिक रूप से देखें तो एक लंबे समय तक कक्षा का अर्थ वार्षिक परीक्षा के आधार पर एक निश्चित समय में निर्धारित पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करके अगली कक्षा में भेज दिए जाने से लगाया जाता रहा है, फिर चाहे बच्चे उस कक्षा के लिए आवश्यक कौशल सीख गए हो अथवा नहीं। इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई जिसमें न्यूनतम अधिगम स्तर से शुरू होकर निपुण भारत जैसे क्रांतिकारी कदम प्रमुख रहे हैं जिसके द्वारा कक्षा केंद्रित शिक्षण प्रणाली को दक्षता आधारित शिक्षा की ओर अग्रसित किया गया, यद्धपि यह यात्रा लंबी रही है।
- **धीमी प्रगति परंतु वास्तविक अधिगम–**स्वयंसेवी संस्था 'प्रथम' द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाने वाली 'असर' रिपोर्ट भारत में ग्रामीण शिक्षा की स्थिति का विश्वसनीय दर्पण मानी जाती है। अगर 'असर' रिपोर्ट का वर्ष 2015 से 2025 तक विश्लेषण करें तो स्पष्ट अंतर नजर आता है। असर की 2015 की वार्षिक रिपोर्ट उस समय आई थी जब शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का शुरुआती चरण था। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन 96% से अधिक था, परंतु बुनियादी साक्षरता की स्थिति दयनीय थी। रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 5 तक के 50% बच्चे कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ सकते थे। वहीं कक्षा 5 के केवल 25% बच्चे ही भाग के प्रश्न हल कर सकते थे। असर 2025 की रिपोर्ट निपुण भारत मिथन के परिणामों को दर्शाती है। विद्यालय नामांकन 98% के आसपास स्थिर हो चुका है। कक्षा 3 के बच्चों के पढ़ने एवं गणित को समझने में 15 से 20% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण परिवारों के छात्रों की डिजिटल साधनों तक पहुंच 90% हो चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं पठन क्षमता में सुधार हुआ है तथा सीखने पर बल दिया जाने लगा है। सरकारी विद्यालयों की सुविधा एवं गुणवत्ता में वृद्धि हुई है जिस कारण भारतीय शिक्षा का ध्यान 'पहुंच' से हटकर 'परिणाम' पर आ गया है। 2015 से 2025 तक आते–आते समाज और सरकार ने सीखने के प्रतिफल को गंभीरता से लिया है।

न्यूनतम अधिगम स्तर ने 1990 के दशक में पहली बार स्पष्ट किया की कक्षा तीन से पांच तक के बच्चे को क्या–क्या न्यूनतम आना चाहिए, इसने रटन्त प्रणाली से आगे बढ़कर अधिगम परिणामों की बात की है। न्यूनतम अधिगम स्तर ने कक्षा विषयों को छोटी–छोटी दक्षाताओं में विभाजित किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सका की अगली कक्षा में जा रहे बच्चे को पिछली कक्षा का न्यूनतम ज्ञान अनिवार्य रूप से हो। निपुण भारत मिशन इस विचार को अपने चरमोत्कर्ष पर ले जाता है। इससे यह स्पष्ट हो सका की कक्षा एक भौतिक स्थान है, वास्तव में उपलब्धि (जिसे निपुण लक्ष्य कहा गया)ही वह दक्षता है जिसे शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाना चाहिए। निपुण भारत परीक्षा प्रणाली की औपचारिकता से कहीं आगे बढ़कर 'वास्तविक अधिगम' की पुष्टि करता है। अब अध्यापक यह नहीं लिखता की 'पाठ्यक्रम पूरा हुआ' अब वह लिखता है कि अमुक छात्र ने दो अंकों के जोड़ अथवा घटाव की दक्षता को 21 नवंबर को प्राप्त कर लिया है। स्पष्ट है कि न्यूनतम अधिगम स्तर ने शैक्षिक गुणवत्ता की जिस नींव को रखा था, निपुण भारत उसके ऊपर एक मजबूत भवन का निर्माण कर रहा है, जिसने तय किया है कि छात्र केवल कागजों पर ही शिक्षित न हो बल्कि वास्तव में उनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक साक्षरता एवं संख्यात्मकता जैसे बुनियादी कौशल का ठोस आधार हो। निपुण भारत वास्तव में न्यूनतम अधिगम स्तर की उस अधूरी यात्रा को पूरा करने का साहसिक प्रयास है जहां कक्षा केवल एक पड़ाव है और दक्षता अंतिम गंतव्य।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Central Advisory Board of Education- (1991). Minimum levels of learning at primary stage: Report of the committee- Ministry of Human Resource Development, Government of India.
2. Department of School Education and Literacy- (2014). Padhe Bharat Badhe Bharat: Programme document- Ministry of Human Resource Development, Government of India.
3. Department of School Education and Literacy- (2018). Samagra Shiksha: An integrated scheme for school education & Framework for implementation- Ministry of Human Resource Development, Government of India.
4. Department of School Education and Literacy- (2021). NIPUN BHARAT: Guidelines for implementation of National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy- Ministry of Education, Government of India.
5. District Primary Education Programme- (1995). DPEP guidelines- Ministry of Human Resource Development, Department of Education, Government of India.
6. Government of India- (2009), The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009- The Gazette of India.
7. Kingdon, G. G.(2007). The progress of school education in India- Oxford Review of Economic Policy, 23(2), 168–195- https://doi-org/10-1093/oUrep/grm015
8. Ministry of Education.(2020). National Education Policy 2020- Government of India.
9. Ministry of Human Resource Development.(2001). Sarva Shiksha Abhiyan: A programme for universal elementary education & Framework for implementation- Government of India.
10. NCERT- (2005). National curriculum framework 2005- National Council of Educational Research and Training.
11. NCERT.(2023). National curriculum framework for foundational stage- National Council of Educational Research and Training.
12. Pratham Education Foundation.(2023). Annual status of education report (ASER) 2022: Beyond basics- Pratham Education Foundation.
13. PROBE Team- (1999). Public report on basic education in India- Oxford University Press.
14. World Bank- (1997). Primary education in India- Development in Practice Series, World Bank Publications.
15. World Bank- (2018). World development report 2018: Learning to realize education's promise- World Bank.
16. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (1991). प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर: एक रूपरेखा.

नई दिल्ली: एनसीईआरटी।
17. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (1992). प्राथमिक शिक्षा के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर: दिशा-निर्देश एवं कार्यान्वयन. नई दिल्ली, शिक्षा विभाग।
18. भारत सरकार, शिक्षा विभाग. (1994). जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (District Primary Education Programme): कार्यक्रम रूपरेखा. नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
19. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (1997). जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम: प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु दिशा-निर्देश. नई दिल्ली, शिक्षा विभाग।
20. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2001). सर्व शिक्षा अभियान: कार्यक्रम रूपरेखा. नई दिल्ली, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
21. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2002). सर्व शिक्षा अभियान: सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा. नई दिल्ली, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
22. भारत सरकार. (2009). बालकों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009. नई दिल्ली, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
23. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005. नई दिल्ली, एनसीईआरटी।
24. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2014). पढ़े भारत, बढ़े भारत: प्रारंभिक कक्षाओं में पठन, लेखन एवं गणितीय कौशल के विकास हेतु दिशानिर्देश. नई दिल्ली, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
25. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2014). पढ़े भारत, बढ़े भारत कार्यक्रम, कार्यान्वयन रूपरेखा. नई दिल्ली: सर्व शिक्षा अभियान।
26. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2017). समग्र शिक्षारू विद्यालय शिक्षा के लिए एकीकृत योजना. नई दिल्ली: स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
27. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2018). समग्र शिक्षा: कार्यक्रम कार्यान्वयन रूपरेखा (Framework for Implementation). नई दिल्ली, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
28. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020. नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय।
29. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2021). आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता हेतु पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक रूपरेखा. नई दिल्ली, एनसीईआरटी।
30. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2021). निपुण भारतरू आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के लिए राष्ट्रीय पहल दिशानिर्देश. नई दिल्ली: स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
31. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2021). निपुण भारत मिशन: कार्यान्वयन दिशानिर्देश. नई दिल्ली, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
32. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2022). निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के लिए अधिगम परिणाम. नई दिल्ली, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
33. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2022). आधारभूत स्तर के लिए अधिगम परिणाम एवं मूल्यांकन दिशा-निर्देश. नई दिल्ली, एनसीईआरटी।
34. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2023). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा: आधारभूत चरण (National Curriculum Framework for the Foundational Stage). नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।
35. असर सेंटर. (2023). एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER), ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूली शिक्षा एवं अधिगम की स्थिति. नई दिल्ली, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन।
36. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2024). समग्र शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता एवं अधिगम परिणामों के संवर्धन हेतु दिशा-निर्देश. नई दिल्ली, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
37. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2023). राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, विद्यालयी शिक्षा में अधिगम उपलब्धि का मूल्यांकन. नई दिल्ली, एनसीईआरटी।

सारणी -2-निपुण भारत मिशन लक्ष्य सूची-निपुण भारत मिशन के आधारभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता के लक्ष्य जिनको बालवाटिका से लेकर कक्षा तीन तक वर्षवार प्राप्त किया जाता है, का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है-

बाल वाटिका	**कक्षा 1**	**कक्षा 2**	**कक्षा 3**
भाषा ●अक्षर एवं ध्वनियों की पहचान करना। ●कम से कम दो अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना।	अर्थ के साथ ऐसे वाक्यों को पढना जो किसी पाठ का भाग हो एवं जिसमें चार से पाँच सरल शब्द हो।	अर्थ के साथ 40 से 50 शब्द प्रति मिनट पढना।	अर्थ के साथ कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट पढना।
गणित ● 10 अंको तक की संख्या अंकों की पहचान करना।	99 तक की संख्याओं को पढना एवंलिखना	999 तक की संख्याओं को पढना एवं लिखना	9999 तक की संख्याओं को पढना एवं लिखना
एक क्रम में संख्या, वस्तुओं एवं आकृतियों को व्यवस्थित करना	सरल जोड एवं घटाव करना।	99 तक की संख्याओं को घटाना।	सरल संख्याओं की गुणा करना।